



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267610
CG-DL-E-13112025-267610

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 748]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 834(अ).—केंद्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटररयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 184(अ), तारीख 20 मार्च, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 20 मार्च, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटररयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2025 है।
 (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (यद्य) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(यड) मोटर यान के “नए मॉडल” से एक ऐसा यान मॉडल अभिप्रेत है जिसे नियम 126 के अधीन अधिसूचित किसी परीक्षण अभिकरण से या किसी नए नियम जिसके लिए नए मॉडल के लिए अलग तारीख दी गई है, के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात्, टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र मिला है, और जो उस नए नियम की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

(यच) मोटर यान के “विद्यमान मॉडल” से एक ऐसा यान मॉडल अभिप्रेत है जिसे नए नियम के लागू होने की पहली तारीख से पहले ही टाइप अनुमोदन दिया जा चुका है और उन “विद्यमान मॉडलों” को नए नियम में विद्यमान मॉडलों के लिए अधिसूचित एक अलग तारीख से नए नियम की अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।”
3. उक्त नियमों के नियम 93 के उपनियम (1) के खंड (ख) की मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(i) एक रियर-व्यू मिरर, या इनडायरेक्ट विज़न के लिए युक्ति, या गार्ड रेल या डायरेक्शन इंडिकेटर रब-रेल (रबर बीडिंग) जिसकी बॉडी के हर तरफ या साइड फुट स्टेप पर अधिकतम मोटाई 20 मिलीमीटर हो, या ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन प्रणाली, मूर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रणाली, आदि जैसी उन्नत चालक सहायता प्रणाली के लिए प्रयुक्त होने वाले सेंसर और उनके केसिंग को मोटर यान की कुल चौड़ाई को मापने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा और यदि संबंधित मानकों में निर्दिष्ट किया गया है तो उपरोक्त युक्ति विहित आयाम के भीतर होंगी।”
4. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (4) के मद (ii) में,—
 - (क) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि, नए मॉडलों की दशा में, 1 जनवरी, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2027 को विनिर्मित एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 और क्लाइमेटिकल प्रवर्ग के यानों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग से भिन्न अन्य ब्रेकिंग प्रणाली, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक आईएस: 11852:2019 के अनुरूप होंगी।”;
 - (ख) चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि नए मॉडलों की दशा में, 1 जनवरी, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2027 को विनिर्मित मोटर यान प्रवर्ग जिनके लिए आईएस: 11852:2019 के अनुसार एंड्योरेंस ब्रेकिंग प्रणाली परीक्षण (टाइप-II ए परीक्षण) लागू है समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक आईएस: 11852:2019 में यथा विनिर्दिष्ट एंड्योरेंस ब्रेकिंग प्रणाली परीक्षण (टाइप-II ए परीक्षण) के पालन में होंगे।”;
 - (ग) पांचवे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि नए मॉडलों की दशा में, 1 जनवरी, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2027 को विनिर्मित एन1 प्रवर्ग के यानों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग प्रणाली से भिन्न दूसरी

ब्रेकिंग प्रणाली, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक आईएस: 11852:2019 की अपेक्षाओं के पालन में होंगी।”

5. उक्त नियमों के नियम 96 में—

(क) उपनियम (4ख) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि नए मॉडलों की दशा में, 1 जनवरी, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2027 को विनिर्मित एम2 प्रवर्ग के यान समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक आईएस 11852:2019 के अनुरूप एंटी-लॉक ब्रेकिंग प्रणाली से युक्त होंगे।

(ख) उपनियम (9) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और भी कि नए मॉडलों की दशा में, 1 जनवरी, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2027 को विनिर्मित एम3, एन3 और एन2 प्रवर्ग के यान, जिनमें खतरनाक सामान और लिक्विड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलर संयोजन सम्मिलित नहीं हैं, समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक आईएस: 11852:2019 के अनुसार एंटी-लॉक ब्रेकिंग प्रणाली से युक्त होंगे।”

(ग) उपनियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(12) नए मॉडलों की दशा में, 1 जनवरी, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 अक्टूबर, 2027 को विनिर्मित एम2, एम3, एन2 और एन3 प्रवर्ग के यान, जब तक कि भारतीय मानक व्यूरों अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-162 के अनुरूप उन्नत इमरजेंसी ब्रेकिंग प्रणाली से युक्त होंगे।”

6. उक्त नियमों के नियम 98 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(6) 1 अक्टूबर, 2027 को या उसके पश्चात् नए मॉडल्स की दशा में और 1 जनवरी, 2028 को विद्यमान मॉडल्स की दशा में, एम2, एम3, एन2 और एन3 प्रवर्ग के यान, जब तक कि भारतीय मानक व्यूरों अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-188 के अनुरूप लेन डिपार्चर चेतावनी प्रणाली से युक्त होंगे।”

7. उक्त नियमों के नियम 125ग के उप-नियम (7) के खंड (ख) की सारणी I की क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ (4) में, “1 अप्रैल 2023” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “1 अक्टूबर 2026 (स्कूल बसों के लिए)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 125त के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“125थ. उन्नत चालक सहायता प्रणाली.— (1) नए मॉडलों की दशा में, 1 अक्टूबर, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 जनवरी, 2028 को विनिर्मित, एम2, एम3, एन2 और एन3 प्रवर्ग के यान जब तक कि भारतीय मानक व्यूरों अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-184 में यथा विनिर्दिष्ट चालक ड्राउजिनेस और अटेंशन चेतावनी प्रणाली से युक्त होंगे।”

(2) नए मॉडलों की दशा में, 1 अक्टूबर, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 जनवरी, 2028 को विनिर्मित, एम2, एम3, एन2 और एन3 प्रवर्ग के यान जब तक कि भारतीय मानक व्यूरों अधिनियम,

1986 (1986 का 63) के अधीन तत्सथानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-186 में यथा विनिर्दिष्ट ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली से युक्त होंगे।"

(3) नए मॉडलों की दशा में, 1 अक्तूबर, 2027 को या उसके पश्चात् और सभी मॉडलों की दशा में 1 जनवरी, 2028 को विनिर्मित, एम2, एम3, एन2 और एन3 प्रवर्ग के यान जब तक कि भारतीय मानक व्यूरों अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्सथानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-187 में यथा विनिर्दिष्ट मूर्विंग ऑफ सूचना प्रणाली से युक्त होंगे।"

[फा. सं. आरटी-11036/106/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.819(अ), तारीख 3 नवंबर, 2025 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2025

G.S.R. 834(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R 184(E), dated the 20th March, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 20th March, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2025.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 2, after clause (zd), following clauses shall be inserted, namely: -

“(ze) “new model” of a motor vehicle means a vehicle model which obtains the Type Approval Certificate from any of the test agency notified under rule 126 or after the date of commencement of any new rule for which separate date is given for the new model and which shall conform to the requirements of that new rule.

(zf) “existing model” of a motor vehicle means a vehicle model which has already been Type Approved prior to the earliest date of implementation of the new rule and those “existing models” shall be allowed to meet

the requirements of the new rule on and from a different date, as notified in the new rule for existing models.”.

3. In the said rules, in rule 93, in sub-rule (1), in clause B, for item (i), following item shall be substituted, namely: -

“(i) A rear-view mirror, or devices for indirect vision, or guard rail or a direction indicator rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20 millimetre on each side of the body or side foot step, or sensors along with their casing used for advanced driver assistance systems such as Blind Spot Information System, Moving off Information System, etc., shall not be taken into consideration in measuring the overall width of a motor vehicle and the above devices shall be within the prescribed dimension if so specified in the respective standards.”.

4. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (4), in item (ii)–

(a) after the third proviso following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that Braking system other than Anti-Lock Braking for M2, M3, N1, N2, N3 and Quadricycle categories of vehicles manufactured, on and after the 1st day of January, 2027 in case of new models and the 1st day of October, 2027 in case of all models shall conform to the Indian Standard IS:11852:2019, as amended from time to time:”;

(b) after the fourth proviso following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that motor vehicle categories for which Endurance Braking System Test (Type-II A Test) is applicable as per IS:11852:2019 and manufactured on and after 1st day of January, 2027 in case of new models and the 1st day of October, 2027 shall comply with the Endurance Braking System Test (Type-II A test) as specified in Indian Standard IS:11852:2019, as amended from time to time:”;

(c) after the fifth proviso following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that Braking system other than Anti-Lock Braking for N1 category of vehicles manufactured on and after 1st day of January, 2027 in case of new models and 1st day of October, 2027 in case of existing models, shall comply with the requirements of Indian Standard IS:11852:2019, as amended from time to time.”

5. In the said rules, in rule 96–

(a) in sub-rule (4B), after first proviso following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that vehicles of category M2 manufactured on and after the 1st day of January, 2027 in case of new models and 1st day of October, 2027 in case of all models, shall be fitted with Anti-Lock Braking System conforming to the Indian Standard IS 11852:2019, as amended from time to time.

(b) in sub-rule (9), after first proviso following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that vehicles of category M3, N3 and N2 other than tractor-trailer combination meant for carrying hazardous goods and liquid petroleum gas, manufactured on and after the 1st day of January, 2027 in case of new models and 1st day of October, 2027 in case of all models, shall be fitted with Anti-Lock Braking System conforming to the Indian Standard IS:11852:2019, as amended from time to time.”

(c) after sub-rule (11), following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(12) M2, M3, N2 and N3 categories of vehicles, manufactured on and after the 1st day of January, 2027 in the case of new models and 1st day of October, 2027 in case of all models, shall be fitted with Advanced Emergency Braking Systems, conforming to AIS-162, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”.

6. In the said rules, in rule 98, after sub-rule (5) following sub-rule shall be inserted namely: -

"(6) On and after the, 1st day of October, 2027 in case of new models and 1st day of January, 2028 in case of existing models, vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 shall be fitted with Lane Departure Warning System , which shall conform to AIS-188, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)."

7. In the said rules, in rule 125C, in sub-rule (7), in clause (b), in TABLE I, against Serial number 6, in column (4), after the words and figures "1st April 2023", the words, brackets and figures "1st October 2026 (for school buses)" shall be inserted.

8. In the said rules, after rule 125P, following rule shall be inserted, namely: -

"125Q. Advance Driver Assistance Systems.— (1) Vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 manufactured on and after the 1st day of October, 2027 in the case of new models and 1st day of January, 2028 in case of existing models, shall be fitted with Driver Drowsiness and Attention Warning Systems as specified in AIS-184, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(2) Vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 manufactured on and after the 1st day of October, 2027, in case of new models and 1st day of January 2028 in case of existing models, shall be fitted with Blind Spot Information Systems as specified in AIS-186, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

(3) Vehicles of categories M2, M3, N2 and N3 manufactured on and after the 1st day of October, 2027 in case of new models and 1st day of January 2028 in case of existing models, shall be fitted with Moving off Information Systems as specified in AIS-187, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).".

[F. No. RT-11036/106/2024-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 819(E) dated the 03rd November, 2025.